2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन और बजटीय परिणाम

2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत बजट प्रावधानों तथा व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	सं.अ. के संबंध में व्यय का प्रतिशत
2012-13	450.00	416.00	390.76	93.93
2013-14	450.00	550.00	522.69	95.03

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 550 करोड़ रूपए की बजटीय राशि में से 522.69 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग हो गया था जो 2012-13 के व्यय (390.76 करोड़ रूपए) से 33.76% की वृद्धि को अभिव्यक्त कर रहा है। शेष व्यय न की गई 27.31 करोड़ रूपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधान (27.19 करोड़ रूपए) और कोयला नियंत्रक संगठन (0.12 करोड़ रूपए) के वेतन की वजह से थे। चालू वित्त वर्ष (2014-15) का योजनागत आबंटन 550 करोड़ रूपए है।

2.2 50 करोड़ रूपए का गैर-योजनागत बजट (2014-15) मुख्यत: सचिवालय (आर्थिक सेवाओं), कोयला नियंत्रक के संगठन, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के अधीन तैयार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अधीन अपेक्षित सांविधिक रूप से सरकारी अंशदानों के भुगतान के लिए अपेक्षित निधियों के लिए हैं।

2.3 योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक योजना (2014-15) 12011 करोड़ रूपए है जिसका उनके स्वयं के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों से प्रावधान किया जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-वार बजट आबंटन तथा व्यय निम्नवत है:-

(करोड़ रू. में)

पीएसयू के नाम	2012-13			2013-14			2014-15
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.
सीआईएल	4275.00	4100.00	2915.00	5000.00	5000.00	4329.86	5225.00
एनएलसी	1687.45	1782.26	1827.90	2490.14	2490.14	1817.32	2936.00
एससीसीएल	3220.33	3220.33	2047.26	4000.00	2900.00	2591.05	3850.00
कुल	9182.78	9102.59	6790.16	11490.14	10390.14	8738.23	12011.00

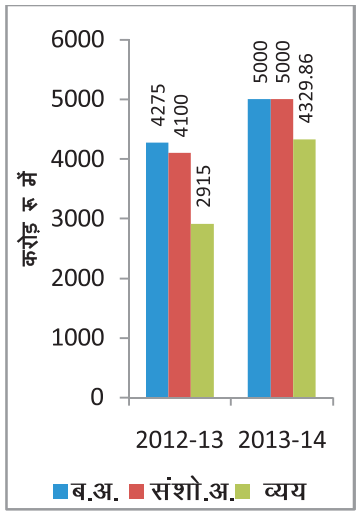

सीआईएल

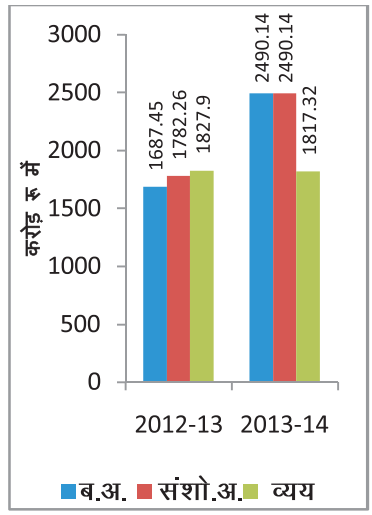

एनएलसी

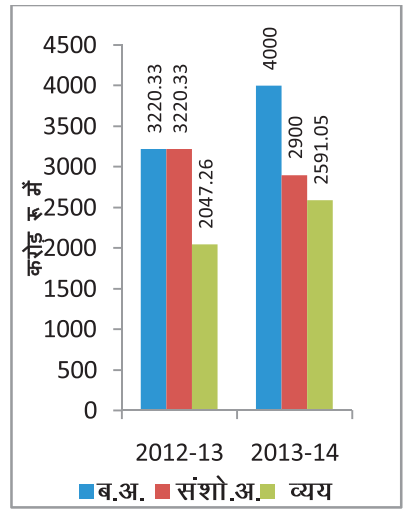

एससीसीएल

2.4 चालू वित्त वर्ष (2014-15) के योजनागत तथा गैर-योजनागत योजना-वार आबंटन एवं पीएसयू के आईईबीआर प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में)

क्रम सं	योजना / कार्यक्रम का नाम	योजना	गैर योजना	* आईईबीआर
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	1.25	18.00	0.00
2.	सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (सीएमपीएस 98)	0.00	24.00	0.00
3.	कोयला नियंत्रक का संगठन	0.30	8.00	0.00
4.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	185.00 #	0.00	0.00

5.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	75.00	0.00	0.00
6.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	7.95	0.00	0.00
7.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	56.65 #	0.00	0.00
8.	पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	0.40	0.00	0.00
9.	गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण	184.45 #	0.00	0.00
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	29.00	0.00	0.00
11.	कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान	0.00	1,647.00	0.00
12	सार्वजनिक उद्यम में निवेश	0.00	0.00	12,011.00 [सीआईएल=5225 एससीसीएल =3850 एनएलसी=2936]

(#टीएसपी घटक सहित)

2.5 योजनागत तथा गैर-योजनागत आबंटनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के आईईबीआर प्रावधान तथा किए गए आबंटन के प्रति अनुमानित परिणामों के ब्यौरे आगामी पृष्ठों में अनुबंध-I में दिए गए हैं।

अनुबंध–1

कोयला मंत्रालय
विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए परिणामी बजट (2014–15)

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**	सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने के लिएयोजनागत प्रावधान है। गैर-योजनागत प्रावधान वेतन तथा भत्तों की अदायगी, कार्यालय खर्चों, चिकित्सा, यात्रा एवं प्रकाशन संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए है।	1.25	18.00	0.00	योजनागत प्रावधान का उद्देश्य-ई-शासन और आनलाइन कार्य-वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशेष रूप से आईटी उपकरण मुहैया कराना। कोयला मंत्रालय ई-आफिस लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने कोयला ब्लॉकों और कोयला लिंकेज हेतु समेकित डाटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। गैर - योजनागत प्रावधानों के लिए, वास्तविक परिणामों को प्रशासनिक प्रकृति के व्यय के कारण मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने से अधिक आनलाइन कार्य का वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी।	लगातार चलने वाला कार्य	
2.	**सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आशिंक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना -1998**	सांविधिक अंशदान क) सीएमपी योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान हेतु 16.00 रू. का प्रावधान किया गया है ख) 8.00 रू. का प्रावधान सीएमपीएफओ के	0.00	24.00	0.00	सीएमपीएस-1998 के अधीन सरकार पर यह राशि सांविधिक देयताको पूरा करने के लिए रखा है।	कोयला क्षेत्र में कर्मचारियो को सामाजिक सुरक्षा लाभ।	सेवानिवृत्ति/सेवा से हटने के बाद लाभ देय है।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(सीएमपीएस-98)	प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु है।							
3.	**कोयला नियंत्रक का संगठन**	योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने हेतु है गैर-योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने के लिए स्थापना लागत की पूर्ति हेतु हैं।	0.30	8.00	0.00	व्यय प्रशासनिक प्रकृति का है तथा इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	i)कोलियरी की तरफ से कोयला प्रेषण पर उत्पाद शुल्क। वर्ष 2013-14 में वास्तविक संग्रह 560.00 करोड़ रूपये है। वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित संग्रह 570.14 करोड़ रूपये है। ii) मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 138 कैप्टिव कोल ब्लॉको के हेतु प्रगति की मानीटरिंग। iii)कोयला वाशरीज की मानीटरिंग iv) डाटा संग्रहण तथा कोल डायरेक्टरी आफ इंडिया 2013-14, अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2013-14 के प्रकाशन हेतु विश्लेषण तथा मासिक उत्पादन रिपोर्ट विभिन्न एजेंसियों को अग्रेषित करना। v) आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के दावों एवं प्रस्तावों की जांच। vi) नियमित, सैम्पल चेक	लगातार चलने वाला कार्य	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							तथा कोयला, खान/ सीमवार ग्रेड का अनुमोदन जैसाकि संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा घोषित है। vii) सीबी (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला वाले भूमि के अधिग्रहण हेतु नोटिस के विरूद्ध भू-स्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई तथा अधिनियम की धारा 8(2)के अंतर्गत मंत्रालय को रिपोर्ट देना। viii) पूर्व-कोलियरी स्वामियों के बीच मुआवजे का भुगतान, वर्ष 13-14 में भुगतान की गई राशि 7.04 लाख रूपये है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित राशि 50 लाख रू. है।		
4.	**कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा**	i) रेत भरायी ii) सुरक्षात्मक कार्य तथा iii) आर एंडडी कार्यों के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना	185.00 (टीएसपी घटक सहित)	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	i) रेत भराई वृद्धित कोयला उत्पादन, तथा धंसाव, आग नियंत्रण में वृद्धि सुनिश्चित करती है। ii) कोयला निष्कर्षण में वृद्धि iii) पर्यावरण प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से आर एण्ड डी संस्वीकृत की जाती है।	अधिकाशंत चल रही परियोजनाएं।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	**कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास**	सड़क, रेल और अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना।	75.00	0.00	0.00	बहुमदों की राशि होने के कारण मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	कोलियरीज से त्वरित कोयला निष्कर्षण हेतु	अधिकांशत:चल रही परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता	
6.	**अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम**	प्रौद्योगिकीय विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उसका सफल अंतरण	17.95	0.00	0.00	1) 2014-15 के दौरान 12 परियोजनाएं चल रही होगी जिनमें से 03 (तीन) परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है। 2) वर्ष 2013-14 के दौरान चल रही 15 परियोजनाओं में से 05 (पांच) परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है तथा 02 परियोजनाएं एसएसआर सी द्वारा अनुमोदित की गई थी।	(i) मुख्य संभावित निष्कर्ष - भूमिगत कोयला खानों में डि-पिल्लरिंग कार्यों हेतु सेल्फ एड्वासिंग (मोबाइल) गोफ एड्ज सपोर्ट (एसएजीईएस) विकसित करना। (ii) एससीसीएल खानों के लिए 3डी न्यूमरिकल द्वारा धंसाव के अनुमान हेतु साफ्टवेयर विकसित करना। (iii) नेयवेली लिग्नाइट खानों में विशेष खनन उपकरणों में जंग से सुरक्षा हेतु कस्टमाइज आर्गेनिक कोटिंग विकसित करना।	परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 वर्ष की अवधि की हैं। प्रत्येक अनुसंधान परियोजना के लिए समय सीमा निश्चित की गई है	चूंकि परियोजनाओं में अनुसंधान कार्य शामिल है, अत: उनके निष्कर्षों का परियोजनाओं के सफलता पूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है।
7.	**कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण**	राष्ट्रीय सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय	56.65 (टीएसपी घटक सहित)	0.00	0.00	**1)ड्रिलिंग:-** 1.65 लाख मीटर की ड्रिलिंग (कोयला-0.905,लिग्नाइट- 0.745)	**1)ड्रिलिंग:-** 1.65 लाख मीटर की ड्रिलिंग। 2) जीआर की तैयारी।	**1)ड्रिलिंग-** वर्ष में वितरित कुल ड्रिलिंग	1) ड्रिलिंग: लक्ष्य की प्राप्ति वन क्षेत्रों में अन्वेषण की समय पर अनुमति तथाअनुकूल कानून व्यवस्था पर निर्भर होती है।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ड्रिलिंग करना। वेब योग्य एकीकृत कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस/ आईएलआरआईएस) तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना।				**ii) आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई:** 41 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग।जोन स्तर की योजना 41 जोनों के लिए उपलब्ध होगी।	**ii) आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई: 41 जोनों का सम्पूर्ण डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा।**	ii) **आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई: मार्च,2015 तक जोनों का 41 भू-वैज्ञानिक माडल**	ii) **आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई: मॉडल डाटा, नए हार्डवेयर और साफ्टवेयर स्थापित करने तथा प्रशिक्षण करने के अतिरिक्त नियमित डाटा का अद्यतन।**
						iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल: 12 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग।जोन स्तर की योजना 12 जोनों के लिए उपलब्ध होगी।	**iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल** : 12जोनों का सम्पूर्ण डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा।.	**iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल** : मार्च,2015 तक जोनों का 12 भू-वैज्ञानिक माडल	**iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल: नए आंकड़ो सहित भविष्य में अपेक्षित आरडीबीएमएस का डिजाइन तथा वर्तमान डाटा का अद्यतन।**
						iv) आईएलआरआईएस: एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली के सृजन हेतु सभी अन्वेषित ब्लॉकों के डाटा का कम्प्यूटरीकरण।	**iv) आईएलआरआईएस:** आईएलआरआईएस डाटाबेस पर एकीकृत आकड़ाउपलब्ध होगा	**iv) आईएलआरआईएस:** संवर्धनात्मक, संविदागत तथा गुजरात और राजस्थान राज्यों से संबंधित एमईसीएल और जीएसआई के मामले में लिग्नाइट अन्वेषण का साफ्ट कॉपी कन्वर्सन और डाटा माइग्रेशन सर्वर में 2014–15 में प्राप्त किया जाना है।	iv) **आईएलआरआईएस** : लिग्नाइट डाटाबेस के सृजन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा वेब पार्टल एवं साफ्टवेयर व हार्डवेयर आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया का निष्पादन।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						v) 13 बोरहोलों में सीबीएम अध्ययन तथा 5 बोरहोलों में शेल गैस अध्ययन	v) **सीबीएम** - 13 बीएच से नमूनों का संग्रहण तथा सीबीएम रिपोर्टों को तैयार करने हेतु विश्लेषण और 5 बीएच से शेल गैस अध्ययन	v)**सीबीएम-** 2014-15 में ड्रिल किये गये 13बीएच से सीबीएम तथा 5 बीएच से शेल गैस हेतुमुख्य नमूनों का संग्रहण तथा सीबीएम एवं शेल गैसघटक एवं अन्य मानदण्डों के निर्धारण के लिए डिजार्पसन अध्ययन। एमओसी एंड सीजीपीबी में समय – समय पर समीक्षा के दौरान प्रगति की निगरानी की जाती है।	v) **सीबीएम:** सीएमपीडीआई तथा जीएसआई, सीबीएम अध्ययन एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमश: 8 एवं 5 बोरहोलों से नमूने एकत्र करेंगे। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई शेल गैस अध्ययनों के लिए 5 बोर होलों से भी नमूने एकत्र करेगी।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	**पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण**	आग तथा धंसाव से निपटना तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. एवं भारत कोकिंग कोल लि. के पट्टाधारी क्षेत्रों में सर्वाधिक खतरे वाले लोगों को पुनस्थापित।	0.40	0.00	0.00	मास्टर प्लान के अंतर्गत चरण 1 में बीसीसीएल के लिए आग से संबंधिती 28 स्कीमें प्रस्तावित की गई है। (पांच वर्ष) जिन्हें 41 कोलियरियों में फैले 67 स्थलों के लिए कार्यान्वित/ तैयार किया जाना है।	1. झरिया कोलफील्ड में आग और धंसाव नियंत्रण। 2. जनांकिकी सर्वेक्षण – पट्टाधारी क्षेत्रों में आग तथा धंसाव द्वारा प्रभावित लोगों का पुनर्वास। 3. आग/धंसाव द्वारा प्रभावित सतही अवसरंचना का डायवर्जन।	मास्टर प्लान (चरण 1) प्रस्तावित आग से संबंधित 28 योजनाओं में से अभी तक बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 11 स्कीमें अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है जिनमें से 4 स्कीमें पूरी कर ली गई है तथा शेष निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। नेशलन रिमोट सेन्सिंग सेंटर, इसरो द्वारा कोयला खान आग संबंधी अध्ययन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में वर्तमान आग क्षेत्र 8.9 वर्ग किलोमीटर जैसा कि मास्टर प्लान 2008में उल्लेख किया गया है, से घटकर 2.18 वर्ग किलोमीटर हो गया है। 2.I) रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) में अस्थायी कुल 141 स्थलों में सभी स्थलों की जनांकिकी सर्वेक्षण पूरी कर ली गई है। आरसीएफ में बोंजेमारी स्थान पर 1300 एकड़ तथा गौरांडी स्थल पर 2300 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है। हाल ही में सालनपुर ब्लॉक में 31.42 एकड़ तथा जमुरिया ब्लॉक में 26 एकड़ भूमि की पुनर्वास हेतु पहचान की गई है। 2.II) झरिया कोलफील्ड में :- i) कुल 595 आग प्रभावित धंसाव वाले स्थलों में से 439 स्थलों पर जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ii) प्रभावित बीसीसीएल व्यक्तियों के पुनर्स्थापन हेतु निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित 25000 घरों में से 344 घरों को पूरा कर लिया गया है तथा उसमे रहने लगे है। 1152 क्वार्टर्स का निर्माण कर लिया गया है	सरकार ने ईसीएल तथा बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्र में रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए 2661.11 करोड़ रू. तथा झरिया कोलफील्ड्स के लिए 7112.11 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश से मास्टर प्लान को अनुमोदित कर दिया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सीआईएल ने दो मास्टर प्लानों के कार्यान्वन हेतु 229.71 करोड़ रू. तथा 0.1445 करोड़ रू. जारी कर दिया है। जोखिम कारक : पुनर्वास परियोजना हेतु

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								तथा बीसीसीएल कर्मचारियों को उसमें शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है। 4080 क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है। 4020 क्वार्टरों का निर्माण कार्य सौप दिया गया है। गैर बीसीसीएल व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु 54259 क्वार्टरों में से 2352 घरों का निर्माण कर लिया गया है तथा 1162 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2000 यूनिटे निर्माणाधीन है। iii) आरसीएफ i) आरसीएफ के अंतर्गत अंडाल – सिंथिया कार्ड लाईन के डायवर्जन के लिए भू तकनीकी सर्वेक्षण तथा स्थायित्व विश्लेषण सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा किया गया है। धंसाव के किसी भी संकेत के लिए ट्रेक लाइन की नियमित मानीटरिंग एवं रिकार्डिंग की जा रही है। ii) मैसर्स राइट्स को अण्डाल – सीतारामपुर लाइन के डायर्वजन के लिए मार्ग को अंतिम रूप देने हेतु डीपीआर एवं संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट हेतु कार्य आदेश दे दिए गए है। अल्पकालिक उपाय के रूप में माहुदा – तोपचांची रोड़ के सुदृढीकरण/ चौडा करने हेतु एक डीपीआर राइट्स द्वारा तैयार की गई है जिसे सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अगस्त, 2012 में कार्य शुरू हो गया है। iii) आईओसीएल पाईप लाइन के डाइवर्जन हेतु एनआईआरएम बंगलूरू ने पाईप लाइन की स्थिरीकरण	राज्यों सरकारों द्वारा प्राप्त भूमि की उपलब्धता।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण कराया है। iv) सालनपुर क्षेत्र में डीबी रोड के डायवर्जन हेतु डीपीआर के लिए कार्य सौप दिया गया है तथा सतग्राम क्षेत्र में डीबी रोड के डायवर्जन हेतु एनआईटी जारी कर दी गई है। जेसीएफ i) सड़क निर्माण विभाग ने गोधर से पुटकी के बीच एनएच 32 के जोखिम वाले हिस्से को मुहदा तोपचांची रोड़ की मरम्मत/चौडाकरण करके डायवर्जन पूरा कर लिया है।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण**	क्षेत्रीय अन्वेषण के दौरान पता लगाए गए निर्दिष्ट/अनुमानित संसाधनों को सिद्व करने हेतु डाटा सृजित करने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू-गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना ताकि व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्टें तैयार हो सकें।	184.45 (टीएसपी घटक सहित)	--	--	गैर-सीआईएल ब्लाकों में 4.16 लाख मीटर। (विभागीय – 0.65 लाख मीटर और आउटसोर्स – 3.51 लाख मीटर)	1) 4.16 लाख मीटर 2) जीआर तैयार करना।	वर्ष में 4.16 लाख मीटर ड्रिलिंग को वितरित किया गया। ब्लाक में ड्रिलिंग तथा कोटिपरक विश्लेषण के पूर्ण हो जाने के बाद जीआर तैयार की जाएगी। कोयला मंत्रालय में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की मानिटरिंग की जाती है।	1)आउटसोर्सिंग के माध्यम से वास्तविक ड्रिलिंग निविदा को अंतिम रूप देने उपयुक्त पार्टी एव अनुकूल कानून व्यवस्था पर निर्भर करती है। 2)लक्ष्यों की उपलब्धि अधिकाशत:वन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति पर निर्भर होगी।
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	मंत्रालय का 10% बजट का खर्चा पूर्वान्तर क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु।	29.00	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं	ड्रिलिंग	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कोयला अन्वेषण	
11.	कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु	भू-वंचितों को मुआवजे का भुगतान	0.00	1647.00	0.00	कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास)अधिनियम, 1957 के अधीन	यह एक सांविधिक आवश्यकता है।	2014-15	सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम रूप से राशि जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है।

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2014-15)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	*आईईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मुआवजे का भुगतान					अधिग्रहित भूमि से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।			
12	सार्वजनिक उद्यम में निवेश	कोयला पीएसयूज द्वारा कोयला उत्पादन लिग्नाइट उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन करना एवं इसमें तेजी लाना।	0.00	0.00	आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर)- सीआईएल - 5225.00 करोड़ रू. एससीसीएल- 3850.00 करोड़ रू. एनएलसी- 2936 करोड़ रू.कुल – 12011 करोड़ रू.	परियोजनाओं का कार्यान्वयन।	कोल पीएसयूज द्वारा अपेक्षित कोयला उत्पादन तथा एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन और विद्युत उत्पादन के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करना तथा मशीनों का अधिग्रहण करना। कोयला उत्पादन का लक्ष्य 630.25 एमटी, एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन 25.60 मि.ट तथा विद्युत उत्पादन 20285.00 एमयू लक्षित है।	स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट (पीआर) के अनुसार कार्यान्वयन कीति माही कार्य निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों मानीटरिग की जाती है।	औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास,वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, खाली कराने की पद्धति, (रेलवे) आकस्मिक भूगर्भीय हलचल, खान दुर्घटनाएं और आपदाएं तथा उपकरणों की खरीद में विलम्ब।

- **सीईबीआर (पूरक बाह्य बजटीय संसाधन)**